भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं .3010
11.03.2026 को उत्तर देने के लिए

केरल में एमपीलैड्स परियोजना के कार्यान्वयन में देरी

3010. श्री एम. के. राघवनः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने केरल में संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैड्स) परियोजनाओं के कार्यान्वयन में भारी विलंब पर ध्यान दिया है जबकि दिशा-निर्देशों में पात्र प्रस्तावों को 45 दिनों के भीतर प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत पात्र प्रस्तावों को प्रशासनिक संस्वीकृति प्रदान करने में लगने वाले औसत दिनों की संख्या के संबंध में राज्य-वार आंकड़े हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या सरकार ने प्रशासनिक संस्वीकृतियां प्रदान करने में बार-बार होने वाले विलंब को दूर करने के लिए कोई उपाय किए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय के राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क) से (ग) एमपीलैड्स दिशा-निर्देश 2023 के अनुसार, सांसद द्वारा की गई सभी अनुशंसाओं के संबंध में स्वीकृति/अस्वीकृति का आदेश कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी को अनुशंसा प्राप्त होने की तिथि से 45 दिनों के भीतर कार्यान्वयन जिला प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा।"

यह देखा गया है कि केरल सहित विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एमपीलैड योजना के तहत जिला स्तर पर अनुशंसित कार्यों के लिए प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति जारी करने में विलंब सामान्य रूप से अपूर्ण प्रस्तावों की प्रस्तुति, स्थानीय विवादों, भूमि की उपलब्धता या स्थल की व्यवहार्यता से संबंधित बाधाओं, वैधानिक स्वीकृतियों की आवश्यकताओं और तकनीकी मुद्दों जैसे कारकों के कारण होती है। एमपीलैड्स दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यों की समयबद्ध जांच, संस्वीकृति और कार्य निष्पादन का उत्तरदायित्व जिला प्राधिकारियों का होता है।

एमपीलैड्स के अंतर्गत पात्र प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने में लगने वाले औसत दिनों की संख्या के संबंध में राज्य-वार आंकड़ों का विवरण (अनुबंध-I)संलग्न है ।

(घ) मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन की नियमित समीक्षा राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों और जिला प्राधिकारियों के साथ तिमाही एवं मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से करता है। इन बैठकों में एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में

निर्दिष्ट समयसीमा के अनुसार कार्यों की स्वीकृति एवं पूर्णता में हुए विचलनों को उजागर किया जाता है तथा संबंधित पक्षों से सुधारात्मक कार्रवाई/अनुपालन का अनुरोध किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, निधि प्रवाह और परियोजना निगरानी के लिए ई-'साक्षी' पोर्टल के परिचालन ने कार्यों की वास्तविक समय दृश्यता ने पारदर्शिता को बढ़ाया है तथा योजना की निगरानी को सुदृढ़ किया है। विभिन्न प्रशासनिक स्तरों पर केन्द्रित निगरानी एवं समीक्षा सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य/जिला लॉगिन के अन्तर्गत वास्तविक समय में कार्य प्रगति निगरानी रिपोर्ट उपलब्ध करायी गयी है जिसमें अनुशंसा की तिथि से 45 दिनों से अधिक समय तक स्वीकृति हेतु लंबित कार्यों का विवरण, स्वीकृति के एक वर्ष पश्चात् भी अपूर्ण कार्यों का विवरण तथा स्वीकृति के तीन माह के भीतर भुगतान न किए गए कार्यों का विवरण दिया गया है। प्रगति की समीक्षा, कठिनाईयों के समाधान तथा कार्यान्वयन दक्षता में सुधार के लिए क्षेत्रीय कार्यशालाएँ भी समय-समय पर आयोजित की जाती हैं।

*****

अनुबंध-I

{दिनांक 11.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए लोकसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3010 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध }

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यों की संस्वीकृति के लिए दिनों की औसत संख्या
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	101
2	आंध्र प्रदेश	46
3	अरुणाचल प्रदेश	87
4	असम	124
5	बिहार	88
6	चंडीगढ़	69
7	छत्तीसगढ	79
8	दिल्ली	58
9	गोवा	121
10	गुजरात	73
11	हरियाणा	76
12	हिमाचल प्रदेश	62
13	जम्मू और कश्मीर	76
14	झारखंड	75
15	कर्नाटक	133
16	केरल	97
17	लद्दाख	22
18	लक्षद्वीप	29
19	मध्य प्रदेश	75
20	महाराष्ट्र	115
21	मणिपुर	46
22	मेघालय	83
23	मिजोरम	75
24	नागालैंड	55
25	ओडिशा	82
26	पंजाब	48
27	राजस्थान	75
28	सिक्किम	58
29	तमिलनाडु	102
30	तेलंगाना	77
31	त्रिपुरा	169
32	उत्तर प्रदेश	73
33	उत्तराखंड	109
34	पश्चिम बंगाल	79

टिप्पणी: यह सूचना वर्ष 2025-26 के दौरान 18वीं लोकसभा के लिए संस्वीकृत कार्यों पर आधारित है।